

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:-स. 3-9 (25) स्था/अभि./ 2014

जयपुर दिनांक 2-08-16

—आदेश—

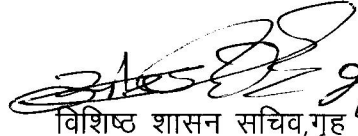
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2015 में चयनित श्री अमर सिंह खारडिया, अभियोजन अधिकारी, न्यायालय ए.सी.जे. एम. बिलाडा जिला जोधपुर, को विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 19 (2) न्याय/2015 दिनांक 18.07.2016 के द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति किये जाने के कारण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक संस्था/(आर.जे.एस.)/152/2016 दिनांक 25.07.2016 के क्रम में प्रशिक्षण के लिए Rajasthan State Judicial Academy, near Jhalamand Circle, Jodhpur में दिनांक 04.08.2016 को कार्यग्रहण करने के लिए इस विभाग से दिनांक 03.08.2016 मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त किया जाता है।

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को उनके पत्रांक एफ. 19(2) न्याय/2015 जयपुर दिनांक 18.07.2016
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्रांक संस्था/आर.जे.एस./152/2016 दिनांक 25.07.2016
3. निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक अभियोजन जोधपुर।
5. सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है, कि यदि श्री अमर सिंह खारडिया, अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध कोई राजकीय बकाया हो तो वसूल कर दिनांक 03.08.2016 को मध्याह्न पश्चात कार्य मुक्त कर, निदेशालय को सूचित करें।
6. संबन्धित श्री अमर सिंह खारडिया, अभियोजन अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जोधपुर।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3-9 (58) स्था/अभि./ 2008 **8655-59** दिनांक **2-8-16**

-:आदेश:-

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2015 में चयनित कु0 सुनीता सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायालय ए.सी.जे. (जेडी)जे.एम. नं. 22 जयपुर शहर को विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 19 (2) न्याय/2015 दिनांक 18.07.2016 के द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति किये जाने के कारण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक संस्था/(आर.जे.एस.)/152/2015 दिनांक 25.07.2016 के क्रम में प्रशिक्षण के लिए Rajasthan State Judicial Academy, near Jhalamand Circle, Jodhpur में दिनांक 04.08.2016 को कार्यग्रहण करने के लिए इस विभाग से दिनांक 03.08.2016 मध्यान्ह पश्चात कार्यमुक्त किया जाता है।

scd
(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

✓ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को उनके पत्रांक एफ. 19(2) न्याय/2015 जयपुर दिनांक 18.07.2016
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्रांक संस्था/आर.जे.एस./152/2016 दिनांक 25.07.2016
3. उप निदेशक अभियोजन प्रथम जयपुर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन, द्वितीय जयपुर शहर को प्रेषित कर लेख है, कि यदि कु0 सुनीता, सहायक अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध कोई राजकीय बकाया हो तो वसूल कर दिनांक 03.08.2016 को मध्यान्ह पश्चात कार्य मुक्त कर, निदेशालय को सूचित करें।
5. संबन्धित कु0 सुनीता, सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन द्वितीय जयपुर शहर।
6. निजि पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर